

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक-

विषय - विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा में अतिरिक्त भवनों यथा प्राचार्य-सह-व्याख्याता आवास(G+3), तकनीकी सपोर्ट स्टॉफ भवन(G+2) एवं सपोर्ट स्टॉफ-Iv(G+2) के लिए निर्माण कार्य हेतु कुल रु० 719.82 लाख (सात करोड़ उन्नीस लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-7435(भ) अनु०, दिनांक-19.09.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक-13.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा में अतिरिक्त भवनों यथा प्राचार्य-सह-व्याख्याता आवास(G+3), तकनीकी सपोर्ट स्टॉफ भवन(G+2) एवं सपोर्ट स्टॉफ-Iv(G+2) के लिए निर्माण कार्य हेतु कुल रु० 719.82 लाख (सात करोड़ उन्नीस लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

- उक्त स्वीकृति राशि का वहन, माँग सं०- 03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघुशीर्ष-051 -निर्माण, उपशीर्ष-0117-इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के लिए भवने (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग) के अधीन 53 01- मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड 03-4059800510117 है।
- स्वीकृत राशि का आवंटन, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा को प्रदान किया जायेगा।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा होंगे।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार जिला कौषागार, दरभंगा से की जायेगी।
- विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
- तकनीकी अनुमोदन के अनुरूप अक्षरशः कार्य कराने की संयुक्त जिम्मेदारी संस्थान के प्राचार्य एवं संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्यय बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली, 2024 के अनुसार एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों एवं अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII)यो०-27/2024 के पृ०-20/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - सचिव/मुख्य अभियंता (निरूपण)/अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल, दरभंगा/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा०एवं त०शि०वि०(VII) यो०-27/2024

प्रतिलिपि - माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव